आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

10.02.14
25.04.14

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 75/13–14
ऑधी पंडित बनाम् मधेश्वर साव एवं अन्य
आदेश

आवेदक ऑधी पंडित पिता स्व० रामकिशुन पंडित साकिन शिवबालक बिगहा,ताजपुर विशुनपुर टोला खोखड़ी (बालू बिगहा) थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अवैध बेदखली से रोकने एवं मापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा ताजपुर विशुनपुर टोला खोखड़ी थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
104	788 789	09 कट्टा 1 धूर मे से. 3 कट्टा 1 धूर मात्र	उतर– सीताराम दक्षिण – देवन सिंह पूरब – देवनंद यादव पश्चिम – देवन सिंह एवं विपक्षीगण

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) आवेदक ने विवादित भूमि खाता नं० 104 प्लॉट नं० 788 एवं 789 के कुल रकवा 9 कट्टा 1 धूर जमीन को दिनांक 09.10.1969 को स्व० लखी नारायण प्रसाद वल्द स्व० गोधनी साव से क्रय किया है जिसमें से कुछ अंश 6 कट्टा भूमि बिक्री करने के बाद आज तक लगायत शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चला आ रहा है 3 कट्टा 1 धूर पर।

(2) उपरोक्त 3 कट्टा 1 धूर भूमि अलग किया हुआ खेत है जिसे आवेदक ने आज तक न तो किसी के हाथों बिक्री किया है और न ही बख्शीस किया है।

(3) आवेदक ने विपक्षी संख्या 1 के हाथों खाता नं० 104 में सिर्फ प्लॉट नं० 789 में 19 डी० रकवा जिसका चौहद्दी उतर–देवन साव, दक्षिण–देवन यादव, पूरब– जयराम चौधरी, पश्चिम–श्यामनारायण बिक्री किया है।

(4) खाता नं० 104 प्लॉट नं० 789 का कुल रकवा 67 डी० है जिसमें से प्रतिवादी 19 डी० में मात्र 15 डी० भूमि पर वर्तमान मे कब्जा में है, 4 डी० भूमि दूसरे लोगों ने कब्जा में रखा है।

(5) सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त द्वारा पैमाईश में प्लॉट नं० 789 के 4 डी० भूमि दूसरे ब्यक्ति में निकल रहा है लेकिन प्रतिवादी अपना खरीद किये हुए प्लॉट के अंश को नहीं कब्जा करते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोषों को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) खाता नं० 7/104, प्लॉट नं० 1207/789 कुल रकवा 19 डी० चौहद्दी उतर–देवन साव, दक्षिण देवन यादव, पूरब–जयराम चौधरी पश्चिम–श्याम नारायण वर्तमान चौहद्दी उतर–सीताराम, दक्षिण–देवन सिंह पूरब–देवनंदन यादव, पश्चिम–देवन सिंह अवस्थित मौजा ताजपुर विशुनपुर टोला बालू बिगहा थाना वो जिला अरवल स्थित भूमि प्रथम पक्ष ऑधी पंडित से विपक्षी मधेश्वर साव ने दिनांक 12.05.80 को निबंधित केवाला से

4

प्राप्त किया है।

(2) विवादित भूमि प्लॉट नं० 789 का डिमाण्ड विपक्षी के नाम से खुला है तथा राजस्व रसीद भी आज तक लगायत 19 डी० का चली आ रही है।

(3) निबंधित केवाला के चौहद्दी के अनुसार विपक्षी अपने भूमि पर दखल काबिज है। विपक्षी के वसिका में दो पेड़–ताड़ का लिख हुआ है जो पूरब तरफ देवनंदन यादव के किनारे है।

(4) प्रथम पक्ष ने छल कपट कर चौहद्दी के अन्तर्गत आनेवाले प्लॉट नं० 788 को छिपा दिया है।

(5) सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में प्लॉट नं० 789 में 15 डी० और प्लॉट नं० 788 में 4 डी० कुल 19 डी० भूमि पर विपक्षी का कब्जा पाया है।

(6) आवेदक ऑधी पंडित के द्वारा विपक्षी मधेश्वर साव को 19 डी० भूमि जिस चौहद्दी के अन्तर्गत लिखा गया है,उसी चौहद्दी के अन्तर्गत विपक्षी मधेश्वर साव भूमि के दखल कब्जा में है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

विवादित भूमि का नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त से करायी गई। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक ने खाता 104 खेसरा नं० 788 एवं 789 मिलजुमले रकवा 9 कट्टा 1 धूर में खेसरा 789 में रकवा 6 कट्टा और खेसरा 788 में 3 कट्टा 1 धूर क्रय किया है। विपक्षी के केवाला में दर्ज चौहद्दी के अनुसार विपक्षी के कब्जा में खेसरा नं० 789 में 15.381 डी० रकवा और खेसरा नं० 788 में 3.519 डी० रकवा अर्थात् कुल रकवा 19 डी० के लगभग है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन और वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने दिनांक 09.10.69 को विवादित जमीन खाता 104 खेसरा 788 एवं 789 में कुल रकवा 9 कट्टा 1 धूर जमीन क्रय किया था। उक्त भूमि में से आवेदक ने 19 डी० भूमि विपक्षी को दिनांक 12.05.80 को बिक्री किया था जिसमें खेसरा 789 अंकित है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि मिलजुमले रकवा 9 कट्टा 1 धूर में खेसरा 789 में रकवा 6 कट्टा और खेसरा 788 में 3 कट्टा 1 धूर रकवा है और विपक्षी के कब्जा में उनके केवाला में दर्ज चौहद्दी के अनुसार खेसरा 789 में रकवा 15.381 डी० और खेसरा 788 में रकवा 3.519 डी० अर्थात् कुल रकवा 19 डी० लगभग हैं। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक ने विपक्षी को खेसरा 788 एवं 789 में रकवा 19 डी०का बिक्री किया है परन्तु केवाला में भूलवश सिर्फ खेसरा 789 अंकित हुआ है क्योंकि आवेदक के पास खेसरा 789 का सिर्फ 3 कट्टा 1 धूर अर्थात् 15.381 डी० भूमि ही था। विपक्षी का कब्जा 19 डी० रकवा पर क्रय करने की तिथि अर्थात् 12.05.80 से है। जहॉ खेसरा और चौहद्दी में भिन्नता पायी जाती है,वहॉ चौहद्दी की मान्यता दी जाती है। आवेदक का दावा कि विपक्षी ने उनके 3 कट्टा 1 धूर जमीन पर कब्जा कर लिया है,गलत है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

25.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

25.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।